


2-11-18

अपीलान्त वाली द्वारा धारणा पत्र डा. धारा 152 CrP का प्रस्तुत करने पर पत्रावली का पत्र है। धारणा पत्र में अंकित किया है कि निर्णय दिनांक 8-10-18 के आदेश में नीचे के दुसरी पंक्ति में नामांक 795 के बजाय स.ए.ए. के 695 अंकित होगा। पत्रावली एवं निर्णय का स्विकारण किया गया। निर्णय दिनांक 8-10-18 में "आदेश" में नीचे के दुसरी पंक्ति में नामांक- 795 की बजाय 695 दर्ज होगा। अतः उक्त आदेश में नामांक- 695 की जगह 795 सुकरल किया जाता है। अतः दर्ज नामांक- 695 के बजाय 795 पढ़ा जावे। निर्णय व आदेश दिनांक 8-10-18 में गान सगाही के नोट अंकित किया जावे। आपत्र निर्णय किया जाता है। इस आदेश को निर्णय दिनांक 8-10-18 का क्रमिक अंग समझा जावे।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (धुधुतू)